

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संकल्प

संख्या-15/विविध स्पष्टीकरण (बांका) 07-15/2024-.....(15)/रा0, पटना-15, दिनांक-.....

श्री विजय कुमार गुप्ता, तत्कालीन अंचल अधिकारी, बाँसी, बांका सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा ऑनलाईन दाखिल-खारिज के कतिपय (कुल वाद-298) मामलों को एक बार अस्वीकृत करने के पश्चात् उसी दस्तावेज पर पुनः स्वीकृत करने एवं बिहार भूमि दाखिल-खारिज अधिनियम, 2011 के प्रावधानों का उल्लंघन करने जैसे प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में विभागीय पत्रांक-2044(15), दिनांक-13.09.2024, पत्रांक-2432(15) दिनांक-11.12.2024 द्वारा श्री गुप्ता से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में इनके द्वारा स्पष्टीकरण दिनांक-21.10.2024 से विभाग में समर्पित किया गया।

2. आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त अस्वीकार पाये जाने की स्थिति में आरोपों के आलोक में विभाग स्तर पर आरोप पत्र गठित करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरान्त विभागीय पत्रांक-394(15) दिनांक-13.03.2025 द्वारा बचाव का लिखित अभिकथन/स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री गुप्ता द्वारा बचाव का लिखित अभिकथन दिनांक-19.03.2025 विभाग में समर्पित किया गया।

3. श्री गुप्ता के विरुद्ध गठित आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों एवं आरोपी से प्राप्त स्पष्टीकरण के अवलोकन/समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-17(2) के प्रावधानों के तहत विभागीय संकल्प सं0-1036(15) दिनांक-25.06.2025 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई जिसमें अपर समाहर्ता, विभागीय जाँच, बांका को संचालन पदाधिकारी तथा भूमि सुधार उप समाहर्ता, बांका को उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

4. संचालन पदाधिकारी-सह-अपर समाहर्ता, बांका के पत्रांक-03, दिनांक-12.01.2026 द्वारा श्री गुप्ता के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का सुस्पष्ट जाँच प्रतिवेदन/अधिगम विभाग को उपलब्ध कराया गया, जिसमें सभी आरोपों को प्रमाणित अंकित किया गया।

5. आरोप पत्र में गठित आरोपों, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-139 के संगत प्रावधानों के तहत "पेंशन राशि का 10 प्रतिशत 02(दो) वर्ष के लिए कटौती का दण्ड" अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

6. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री विजय कुमार गुप्ता, तत्कालीन अंचल अधिकारी, बाँसी, बांका सम्प्रति सेवानिवृत्त अपर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, जिला भू-अर्जन कार्यालय, मधुबनी के विरुद्ध बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-139 के संगत प्रावधानों के तहत "पेंशन राशि का 10(दस) प्रतिशत 02(दो) वर्ष के लिए कटौती का दण्ड" अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(डॉ० महेन्द्र पाल),

सरकार के अपर सचिव।

ई-मेल/
स्पीड-पोस्ट

ज्ञापांक:-15/विविध स्पष्टीकरण (बांका) 07-15/2024-.....(15)/रा०, पटना-15, दिनांक-.....
प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/समाहर्ता, बांका एवं मधुबनी/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, भागलपुर, बांका एवं मधुबनी/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना (मूल प्रति में)/श्री विजय कुमार गुप्ता, सेवानिवृत्त अपर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, जिला भू-अर्जन कार्यालय, मधुबनी (गृह पता-तालबन्ना माधो सिंह रोड, दुर्गा मंदिर के सामने, पो०+थाना-साहेबगंज, जिला-साहेबगंज, राज्य-झारखंड, पिन-816109) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

(डॉ० महेन्द्र पाल),

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:-15/विविध स्पष्टीकरण (बांका) 07-15/2024-.....1399.....(15)/रा०, पटना-15, दिनांक-.....02/9/24
प्रतिलिपि :-माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-3/आई०टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-03 से अनुरोध है कि उक्त दण्ड की प्रविष्टि श्री गुप्ता के सेवापुस्त में कराते हुए प्रशाखा-15 को अवगत कराने की कृपा की जाए।

(डॉ० महेन्द्र पाल),

सरकार के अपर सचिव।